कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।
Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397
पत्रांक -555 / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 10-8- 2022.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद बागेश्वर में बिलखेत-गैराड-भैरूचौबट्ठा मोटर मार्ग का विस्तारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/10596/2015।

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक 2207/FP/UK/ROAD/10596/2015 दिनांक 16.03.2022।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में आपके द्वारा लगाई गयी आपत्ति का निराकरण कर प्रतिउत्तर जो प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर के पत्रांक 334 / 12-1 (2) दिनांक 26.07.2022 द्वारा प्राप्त हुआ है। कि तीन हॉर्ड कॉपियां बन्द लिफॉफे में प्रेषित की जा रही है। प्रस्ताव ऑन लाईन से प्रेषित करने की कार्यवाही पृथक से की जा रही है।

संलग्न-यथोपरि तीन प्रतियों में।

भवदीय

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email-dfobag-forest-uk.nic.in/ dfo_bageshwar@rediffmail.com
दूरभाष एवं फैक्स नं0: 05963-220249
वन मित्र काल सेटरं– 9208008000

पत्रांक 334 / 12-1-2 बागेश्वर दिनांक : 26/07 /2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊ वृत्त,
उत्तराखण्ड अल्मोडा।

विषय – जनपद बागेश्वर में बिलखेत–गैराड–भैरूचौबटठा मोटर मार्ग का विस्तार मोटर मार्ग निर्माण हेतु (प्रस्ताव संख्या–10596 / 2015)

सन्दर्भ– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक सं0 2207 / FP/UKROAD/10596/2015 दिनांक 16.03.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है, कि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा उक्त प्रस्ताव में जो आपत्तिया लगायी गयी है प्रस्तावक विभाग द्वारा बिन्दुवार निराकरण कर प्रस्ताव अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

बिन्दु सं0 1	बिन्दु सं0 03 के प्रतिउत्तर में राज्य सरकार प्रस्तावित ग्राम को दोनों छोर से जोड़ने के बजाय निकटतम बिन्दु से जोड सकती है। अतः राज्य सरकार तदानुसार प्रस्ताव को पुनरीक्षित कर प्रस्तुत करे।	प्रस्तावक विभाग द्वारा बिन्दु सं0 3 के प्रतिउत्तर में अवगत कराया गया है कि ग्रामवासियों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा पूर्व सर्वे में ही मोटर मार्ग का निर्माण करने हेतु अनुरोध किया जा रहा है, क्योंकि इस समरेखण में मोटर मार्ग का निर्माण होने से तोक– सुकराडी (एस0सी0 / एस0टी0 बाहुल्य) तथा तोक– घटगाड (एस0सी0 / एस0टी0 बाहुल्य) एवं राजस्व ग्राम–भैयचौबट्टा (अम्बेडकर ग्राम) जुड़ेगे। जबकि दूसेर छोर से मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने में केवल राजस्व ग्राम– भैरूचौबट्टा (अम्बेडकर ग्राम) ही जुडेगा तथा तोक–सुकराडी (एस0सी0 / एस0टी0 बाहुल्य) तथा तोक –घटगाड (एस0सी0 / एस0टी0 बाहुल्य) असंयोजित ही रहेंगें। उक्त के सम्बन्ध में ग्रामवासियों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रेषित पत्रों की छायाप्रतियॉ संलग्न की जा रही है। **(संलग्न सं0–1 से 5 तक)।**

भवदीय,

01 C

(हिमांशु बागरी)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

"D:\samany 2018-19\land transfer\letter land tansfare.p.w.d kapkot .docx"